

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(61)पीएस/निकाशि/2012/पार्ट/ 1263

दिनांक:- 21/11/2013

सम्बन्धित प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
(संलग्न सूची अनुसार)।

विषय:- प्रपत्र-। व ॥ में सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवमानना प्रकरणों में (सूची अनुसार) संलग्न प्रपत्र-। व ॥ में चाही गई सूचना की पूर्ति कर मय संलग्नक प्रमाणीकरण (मय सील) कर दिनांक 22-11-2013 को सायं 05 बजे तक सेवापुस्तिका सहित व्यक्तिशः (सम्बन्धित लिपिक) कार्यालय को प्रेषित करें। प्रकरण अवमानना का है इसे प्राथमिकता दें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि:- श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, वेबसाईट प्रभारी- कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत दायर अवमानना याचिकायें

क्र०सं०	अवमानना याचिका	नाम	विषय	महाविद्यालय
1	1111/13	श्री हीरालाल मील	ए.बी.एस.टी.	राज० कन्या महावि०, झुन्झुनुं
2	1111/13	श्री मदन सिंह चावला (सेवा निवृत्त व्याख्याता)	इतिहास	राज० महावि०, बून्दी
3	1111/13	श्रीमती रूपवती पीपल	अर्थ शास्त्र	राज० महावि०, बून्दी
4	1111/13	डॉ. पियुष कुमार सालोदिया	प्राणी शास्त्र	राज० महावि०, बून्दी
5	1111/13	डॉ. विजय लक्ष्मी सालोदिया	हिन्दी	राज० महावि०, बून्दी
6	1111/13	डॉ. रमेश चन्द मीणा	हिन्दी	राज० महावि०, बून्दी
7	936/13	श्रीमती-सीमा पंत	रसायन शास्त्र	राज० महावि०, कोटपुतली
8	936/13	डॉ. संगीता सिन्हा	प्राणी शास्त्र	राज० कन्या महावि०, कोटपुतली

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर